



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No.3 of 1997)

प्रो. चित्तरंजन मिश्र

PROF. CHITTARANJAN MISHRA

कुलसचिव

REGISTRAR

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

फैक्स/Fax : +91-7152-230903

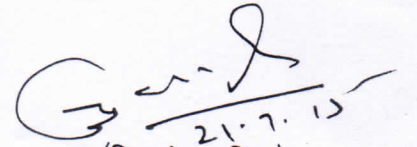
पत्रांक : 5-1/2011/CAS/Volo.III/4981

दिनांक : 21.07.2015

अत्यावश्यक सूचना

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत पूर्व में निर्गत सूचना क्रमांक 003/2003/का.आ./02-37/2014, दिनांक 07.05.2014 एवं प्रभारी, लीला द्वारा दिनांक 08.04.2105 को प्रेषित ई-मेल यथा- अपने प्रोफाइल को अद्यतन कर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिनांक 01.05.2015 तक अपलोड करने संबंधी थी। इस संबंध में सूचनीय है कि जिन शिक्षकों ने अपनी प्रोफाइल अपलोड नहीं की है, वे अपनी अद्यतन प्रोफाइल यथाशीघ्र अपलोड करने का कष्ट करें अन्यथा सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार जुलाई 2015 से देय वार्षिक वेतनवृद्धि रोकी जा सकती है।

2. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध PBAS प्रोफार्म को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम के अनुपालन में भरकर हार्डकॉपी में भी एक प्रति प्रस्तुत करें।
3. जो शिक्षकगण Career Advancement Scheme (CAS) के अंतर्गत अगले स्टेज हेतु पात्रता रखते हैं, वे कार्यालयादेश स्था./4322/2015/म.गां.अं.हिं.वि., दिनांक 09.02.2015 के अनुपालन में वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रोफार्मा भरकर प्रस्तुत करें।


(चित्तरंजन मिश्र)

प्रतिलिपि-

1. कुलपति कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
2. प्रतिकुलपति कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
3. कुलसचिव कार्यालय
4. समस्त विद्यापीठ/विभाग/केंद्र/क्षेत्रीय केंद्र, म.गां.अं.हिं.वि. वर्धा
5. प्रभारी, लीला, म.गां.अं.हिं.वि. वर्धा की विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।
6. संबंधित फाइल/गार्ड फाइल